कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/छाप्रोप्र/डी/विविध/2019 दिनांक :03.07.19

परिपत्र

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 19.06.2019 को सम्पादित बैठक में लिए गए निर्णय उपरांत जारी कार्यवाही विवरण दिनांक 26.06.2019 की अनुपालना में प्रतिवर्ष विभिन्न छात्रवृत्तियों के समयबद्ध आवेदन एवं वितरण हेतु कलेण्डर निम्नानुसार रहेगा। समस्त सम्बन्धित पक्ष तद्नुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :–

क्र.सं.	गतिविधि	समय सीमा	उत्तरदायी कार्यालय/ अधिकारी
छात्रवृत्ति आवेदन तथा समेकित प्रस्ताव भारत/राज्य सरकार को भिजवाया जाना			
1	छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आदेश जारी करना	प्रतिवर्ष विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ होने से 15 दिवस पूर्व	प्रभारी छात्रवृत्ति, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
2	विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति आवेदन प्राप्त करना तथा प्राप्त आवेदनों को शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करना	प्रतिवर्ष प्रवेश प्रारंभ होने की तिथि से प्रवेश की अंतिम तिथि के 07 दिवस पश्चात् तक	समस्त विद्यालयों के संस्थाप्रधान
3	छात्रवृत्ति आवेदनों को ऑनलाईन निदेशालय स्तर पर समेकित करना तथा राज्य सरकार को भिजवाया जाना (ई–मेल तथा व्यक्तिशः)	छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पश्चात् तक	प्रभारी छात्रवृत्ति, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
4	समेकित प्रस्ताव को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाते हुऐ भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय को भिजवाना	निदेशालय से समेकित प्रस्ताव (जरिये ई–मेल/ व्यक्तिशः) प्राप्त होने के 10 दिवस में	शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग तथा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
5	उपरोक्त प्रस्तावों के क्रम में सम्बन्धित मंत्रालय से फॉलोअप मीटिंग करना	समेकित प्रस्ताव मंत्रालय को भिजवाए जाने के 07 दिवस में	शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग तथा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
छात्रवृत्ति भुगतान तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भिजवाने के सम्बन्ध में			
6	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति जारी करना (ई–मेल द्वारा)	भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से राशि प्राप्त होने के 07 दिवस में	शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग तथा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
7	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा राशि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय / संस्कृत एवं प्रारंभिक शिक्षा को जारी करना (ई–मेल द्वारा)	राज्य सरकार से छात्रवृत्ति राशि स्वीकृति प्राप्त होने के 03 दिवस में	सहायक निदेशक, छात्रवृत्ति अनुभाग के माध्यम से वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
8	जिले के समस्त पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को भिजवाया जाना (डी.बी.टी. द्वारा विद्यार्थी को लाभान्वित कर)	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर से छात्रवृत्ति बजट राशि प्राप्त होने के 30 दिवस में	समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय/संस्कृत एवं प्रारंभिक शिक्षा

9	समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकार को भिजवाया जाना (व्यक्तिशः)	राज्य सरकार से छात्रवृत्ति राशि स्वीकृति प्राप्त होने के 40 दिवस में	सहायक निदेशक, छात्रवृत्ति अनुभाग के माध्यम से वित्तीय सलाहकार / उपनिदेशक (योजना),माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
10	उपयोगिता प्रमाणपत्र सम्बन्धित मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाया जाना (व्यक्तिशः)	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के 05 दिवस में	शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग तथा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
11	संशोधित बजट प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाना (यदि आवश्यकता हो)	प्रतिवर्ष नवम्बर माह तक	प्रभारी छात्रवृत्ति, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान.
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
7. उप निदेशक (योजना), कार्यालय हाजा।
8. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय को पालनार्थ।
10. वरिष्ठ सम्पादक,शिविरा प्रकाशन, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि माह जुलाई, 2019 की शिविरा पत्रिका में आदेश–परिपत्र के अन्तर्गत प्रकाशित करावें।
11. उपनिदेशक,माध्यमिक कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि छात्रवृत्ति के इस कलेण्डर को प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा के निर्देशानुरूप शिविरा कलेण्डर सत्र 2019–20 में सम्मिलित करावें।
12. उपायुक्त–तृतीय, शालादर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि एन.आई.सी. एवं डी.ओ.आई.टी. से समन्वय कर निर्धारित कलेण्डर के अनुरूप शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करावे एवं संस्था प्रधानों के लिए यूजर मेन्यूअल अविलम्ब उपलब्ध करवाते हुए सुचारू तकनीकी सहायता सुनिश्चित करावें।
13. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.,शालादर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
14. प्रभारी अधिकारी, भामाशाह योजना, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग, जयपुर।
15. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उडान परियोजना, आई.पी.ई.ग्लोबल, जयपुर।
16. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग,कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर